25 फरवरी, 2026 कार्यकारी आदेश 2026-02

कार्यकारी आदेश 2026-02
इलिनॉय मानव सेवा विभाग से इलिनॉय बाल एवं परिवार सेवा विभाग को व्यापक सामुदायिक युवा सेवा कार्यक्रम स्थानांतरित करने से संबंधित कार्यकारी आदेश

जबकि, व्यापक सामुदायिक युवा सेवा कार्यक्रम (“CCBYS”) वर्तमान में इलिनॉय मानव सेवा विभाग (“IDHS”) द्वारा संचालित किया जाता है; और,

जबकि, CCBYS 11-17 वर्ष की आयु के उन युवाओं को सेवा प्रदान करता है जिन्हें बाल कल्याण और/या किशोर न्याय प्रणालियों में शामिल रहने का जोखिम रहता है, और जिनके निम्नलिखित व्यापक लक्ष्य हैं 1) परिवार का संरक्षण, पुनर्मिलन और/या स्थिरीकरण, और 2) युवाओं को बाल कल्याण और/या किशोर न्याय प्रणालियों में प्रवेश करने से रोकना; और,

जबकि, CCBYS इन युवाओं और उनके परिवारों को, जब उपयुक्त हो, सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है, जैसे कि संकट के समय सहायता, परिवार स्थिरीकरण और पारिवारिक संघर्ष या बेघर होने के मामलों में अस्थाई आपातकालीन व्यवस्था; और,

जबकि, CCBYS वर्तमान में राज्य भर में 28 अनुदान प्राप्तकर्ताओं और 11 उप-प्राप्तकर्ताओं को वित्तीय सहायता देता है, जो प्रतिवर्ष लगभग 6,500 युवाओं को सेवा प्रदान करते हैं; और,

जबकि, CCBYS प्रतिवर्ष लगभग 40 मिलियन डॉलर खर्च करता है और कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए वर्तमान में IDHS में मौजूद समर्पित पदों पर निर्भर करता है; और,

जबकि, CCBYS का रोकथाम और विचलन पर केंद्रित दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से इलिनॉय बाल एवं परिवार सेवा विभाग ("DCFS") के सामुदायिक-आधारित समर्थनों के बढ़ते हुए कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसका उद्देश्य परिवारों को स्थिर करना और इलिनॉय राज्य की देखभाल में प्रवेश को रोकना है; और,

जबकि, IDHS से DCFS में CCBYS का स्थानांतरण कई समान प्रदाता एजेंसियों के भीतर अतिव्यापी युवा-सेवा कार्यों को एकीकृत करेगा, IDHS और DCFS के बीच प्रशासनिक दोहराव को कम करेगा, और फैमिली फर्स्ट प्रिवेंशन सर्विसेज एक्ट ("फैमिली फर्स्ट") के तहत DCFS की पहलों के साथ समन्वय को मजबूत करेगा; और,

जबकि, DCFS में संकट के समय सहायता, स्थिरीकरण और परिवार संरक्षण सेवाओं को एकीकृत करने से राज्य को फैमिली फर्स्ट के तहत अनुमोदित साक्ष्य-आधारित सहायताओं (जैसे प्रेरणादाई साक्षात्कार) का लाभ उठाने, प्रारंभिक सहायता तक पहुंच का विस्तार करने और देखभाल की अधिक निर्बाध निरंतरता बनाने में सहायता मिलेगी; और,

जबकि, DCFS के बाल कल्याण डेटा सिस्टम में CCBYS को रखने से उन युवाओं के लिए परिणामों की बेहतर निगरानी संभव हो सकेगी जिन्हें सिस्टम में गहन भागीदारी से दूर रखा गया है; और,

जबकि, IDHS से DCFS में CCBYS का स्थानांतरण युवाओं के लिए देखभाल की पहुंच में सुधार करेगा, और इससे कर्मचारी इलिनॉय निवासियों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकेंगे; और,

जबकि, इलिनॉय संविधान के अनुच्छेद V, धारा 11 के तहत राज्यपाल को कार्यकारी आदेशों के माध्यम से सीधे उनके प्रति उत्तरदाई कार्यकारी एजेंसियों के बीच कार्यों का पुनर्गठन या पुन: आवंटन करने का अधिकार है; और,

जबकि, कार्यकारी पुनर्गठन कार्यान्वयन अधिनियम, 15 ILCS 15/3.2(1) की धारा 3.2 में प्रावधान है कि "पुनर्गठन" में "किसी एजेंसी के संपूर्ण या किसी भाग का, या उसके कार्यों के संपूर्ण या किसी भाग का, किसी अन्य एजेंसी के अधिकार क्षेत्र और नियंत्रण में हस्तांतरण" शामिल है;

अतः, मैं, जे.बी. प्रिट्ज़कर, इलिनॉय राज्य का राज्यपाल, इलिनॉय संविधान के अनुच्छेद V, की धारा 11 द्वारा मुझे प्रदत्त कार्यकारी अधिकार के तहत, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूं:

I. कार्यों का हस्तांतरण

1 जुलाई, 2026 से या उसके बाद यथाशीघ्र, CCBYS से संबंधित सभी शक्तियां, कर्तव्य, अधिकार और जिम्मेदारियां IDHS से DCFS को हस्तांतरित कर दी जाएंगी। CCBYS की वैधानिक शक्तियां, कर्तव्य, अधिकार और जिम्मेदारियां बाल एवं परिवार सेवा अधिनियम (20 ILCS 505/17 और 17a) और इलिनॉय किशोर न्यायालय अधिनियम 1987 के अनुच्छेद 3 (705 ILCS 405/3 *आदि*) के साथ-साथ इसके तहत जारी किए गए विनियमों से प्राप्त होती हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

a. 89 Ill. प्रशासन संहिता § 310.10;
b. 89 Ill. प्रशासन संहिता § 334.

II. स्थानांतरण का प्रभाव

a. CCBYS से संबंधित शक्तियां, कर्तव्य, अधिकार और जिम्मेदारियां IDHS से DCFS को हस्तांतरित कर दी जाएंगी और इनका वही कानूनी प्रभाव होगा मानो ये हस्तांतरण IDHS द्वारा किए गए हों।

b. CCBYS से संबंधित कार्यों के लिए जिम्मेदार IDHS कर्मचारियों के पदनाम और पद DCFS को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। इस कार्यकारी आदेश के तहत स्थानांतरित किए गए किसी भी कर्मचारी और उन पदों की स्थिति और अधिकारों पर स्थानांतरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

c. CCBYS से संबंधित शक्तियों, कर्तव्यों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित सभी पुस्तकें, अभिलेख, कागजात, दस्तावेज, संपत्ति (वास्तविक और निजी), और अनुबंध, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में सामग्री और आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, IDHS से DCFS को हस्तांतरित किए जाएंगे।

d. यह कार्यकारी आदेश इलिनॉय प्रशासनिक संहिता में CCBYS से संबंधित IDHS के किसी भी नियम की कानूनी वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। IDHS के कोई भी नियम, विनियम और CCBYS की अन्य कार्यवाहियां DCFS के नियमों, विनियमों और कार्यवाहियों के रूप में लागू होंगी और जारी रहेंगी। पुनर्गठन करने के लिए, आवश्यकतानुसार, DCFS किसी भी नियम, विनियम या अन्य कार्यवाही को लिखेगा, संशोधित करेगा या उसमें बदलाव करेगा।

e. CCBYS कार्यक्रम से संबंधित DHS के किसी भी संविदात्मक, वैधानिक या अन्य दायित्वों को हस्तांतरित और DCFS द्वारा ग्रहण किया जाएगा। पुनर्गठन करने के लिए, आवश्यकतानुसार, DCFS किसी भी संविदात्मक, वैधानिक या अन्य दायित्वों में संशोधन या परिवर्तन करेगा।

f. DCFS, IDHS द्वारा राज्य सचिव के पास दायर किए गए किसी भी प्रस्तावित नियमों के संबंध में, जो इस कार्यकारी आदेश के प्रभावी होने की तिथि पर नियम बनाने की प्रक्रिया में लंबित हैं और पुनर्गठन को पूरा करने के लिए स्थानांतरित किए गए कार्यों से संबंधित हैं,

आवश्यकतानुसार किसी भी नियम, विनियम या अन्य कार्यवाही में संशोधन या परिवर्तन करेगा।

g. यदि CCBYS को पूर्व में DCFS को हस्तांतरित नहीं किया जाता है, तो IDHS FY26 तक CCBYS का संचालन करेगा। FY27 के लिए, DCFS के बजट अनुरोध में CCBYS कार्यक्रम के संचालन के लिए सामान्य राजस्व निधि विनियोजन शामिल होगा। IDHS के FY27 के बजट अनुरोध में CCBYS कार्यक्रम के संचालन के लिए किसी भी सामान्य राजस्व निधि विनियोजन को शामिल नहीं किया जाएगा।

h. प्रत्येक व्यक्ति या संस्था जिसका IDHS के साथ CCBYS से संबंधित कोई अनुबंध है या उससे अनुदान प्राप्त हुआ है, उसके पास अनुबंध या अनुदान में निर्धारित समान अधिकार, शक्तियां, कर्तव्य, दायित्व और जिम्मेदारियां बनी रहेंगी, जिसमें इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दंड, चाहे वह नागरिक हो या आपराधिक, शामिल हैं।

i. जब भी इस कार्यकारी आदेश द्वारा हस्तांतरित किसी भी कार्य के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा CCBYS को रिपोर्ट या नोटिस देना या कागजात या दस्तावेज उपलब्ध कराना या तामील करना आवश्यक हो, तो वही रिपोर्ट या नोटिस DCFS के हिस्से के रूप में CCBYS को उसी तरीके से दिए जाएंगे, उपलब्ध कराए जाएंगे या तामील किए जाएंगे।

j. यह कार्यकारी आदेश, CCBYS के संबंध में इसके प्रभावी होने से पहले किए गए, अनुमोदित या रद्द किए गए किसी भी कार्य, या उत्पन्न या स्थापित किसी भी अधिकार, या किसी भी प्रशासनिक, नागरिक या आपराधिक मामले में किए गए कार्य या शुरू की गई किसी भी कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा; ऐसे कार्यों या कार्यवाहियों का DCFS द्वारा बचाव, अभियोजन और इन्हें जारी रखा जा सकता है।

III. संरक्षण प्रावधान

यह कार्यकारी आदेश किसी भी समझौते, अनुबंध, या सामूहिक सौदेबाजी अनुबंध का उल्लंघन नहीं करता है, और न ही इसे उल्लंघन करने के रूप में समझा जाएगा।

IV. पूर्ववर्ती कार्यकारी आदेश

यह कार्यकारी आदेश किसी भी अन्य पूर्व कार्यकारी आदेश के किसी भी विपरीत प्रावधान को निरस्त कर देता है।

V. विच्छेदनशीलता

यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता इस कार्यकारी आदेश के किसी अन्य प्रावधान या उपयोग को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या उपयोग के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को विच्छेदनशील घोषित किया जाता है।

VI. दाखिल करना और सुपुर्दगी

इस कार्यकारी आदेश को राज्य सचिव के समक्ष दाखिल किया जाएगा। इस कार्यकारी आदेश की एक प्रति सीनेट के सचिव और प्रतिनिधि सभा के क्लर्क को भेजी जाएगी और संशोधन संबंधी कानून तैयार करने के उद्देश्य से विधाई संदर्भ ब्यूरो को भी भेजी जाएगी।

VII. प्रभावी होने की तिथि

बशर्ते कि महासभा के किसी भी सदन द्वारा निर्वाचित सदस्यों के बहुमत के मत से इस कार्यकारी आदेश को अस्वीकार न किया जाए, तो यह कार्यकारी आदेश महासभा को सुपुर्द किए जाने के 60 दिन बाद प्रभावी होगा।

जे.बी. प्रिट्ज़कर
राज्यपाल

राज्यपाल द्वारा जारी: 25 फरवरी, 2026
राज्य सचिव के समक्ष दायर किया गया: 25 फरवरी, 2026